अनुबंध V

भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण प्रोफार्मा तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

1. एआईएफआई को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण प्रोफार्मा तैयार करने में बैंकों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुबंध III में दिये गये अनुप्रयोग दिशानिर्देश का पालन करें।

2. एआईएफआई नोट करें कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्ललिखित अनुप्रयोग दिशानिर्देश वित्तीय विवरण में प्रमुख मदों /उप-मदों पर व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। एआईएफआई यह भी नोट करें कि किसी शब्द/शीर्षक/वाक्य की मदों का विशेष रूप में व्याख्या करना हमेशा संभव या आवश्यक नहीं है। एआईफआई को यह भी सूचित किया जाता है कि तत्संबंधी किसी भी अर्थ की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक और उनके फ्रेमवर्क, और जहां प्रासंगिक हो, प्रचलित औद्योगिक प्रथाओं का संदर्भ लें।

3. एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए एआईएफआई भारतीय लेखांकन मानक प्रोफार्मा निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत करेगें :

   (i) इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण सहित तुलन पत्र
   (ii) लाभ और हानि लेखा
   (iii) लेखे पर टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट्स)

4. वित्तीय विवरणों में दर्शाए गये आंकड़ों को निकटतम लाख रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. वित्तीय आस्तियों/देयताओं पर निवल प्राप्त और अप्राप्त लाभ तथा हानियों को **नोट 21 में "उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/ हानि"** वाले शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों (डेरिवेटिव्स के अलावा) पर संविदात्मक ब्याज आय और व्यय क्रमशः ब्याज आय और ब्याज व्यय के अधीन दिखाया जाए। उचित मूल्य लाभ और हानि का निर्धारण करते

समय इसके प्रभाव का उचित समायोजन किया जाना चाहिए। नोट 21 में उपशीर्ष **"अन्य"** में ओसीआई से पुनर्वर्गीकरण शामिल होगा।

6. यदि कोई मद किसी विशिष्ट एआईएफआई से संबंधित न हों, तो कृपया उसे खाली छोड़ दें। साथ ही, यदि कोई मद इस परिपत्र के अनुबंध के फॉर्मेट में शामिल न की गई हो तो उसे भी शामिल करें।

****